भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1590
दिनांक 29 जुलाई, 2025/ 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी

1590. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नए आपराधिक कानूनों में फोरेंसिक जांच का प्रावधान है; और

(घ) समय पर न्याय सुनिश्चित करने में इन परिवर्तनों के महत्व का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। जहां ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्यों के वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है, वहीं ई-समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की सुविधा देता है, जिससे प्रक्रिया तेज, समयबद्ध और आसानी से ट्रैक करने योग्य हो जाती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करता है। अस्पतालों के साथ मेडिको लीगल रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए मेडिको लीगल परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग (MedLeaPR) एप्लिकेशन के साथ एकीकरण भी प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 23 नई कार्यक्षमताएँ प्रदान करने के लिए अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस)

एप्लिकेशन को उन्नत करने हेतु सॉफ्टवेयर पैच विकसित किए हैं। ये पैच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डिप्लायमेंट के लिए दिए गए हैं।

एनसीआरबी ने सभी स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में 'एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज' नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है।

मामले को मजबूत करने और जांच के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों हेतु गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और ऐसे अपराध, जिनके लिए 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है, के लिए साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी किए जाने को अनिवार्य कर दिया गया है। यह दोहरा दृष्टिकोण जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है तथा न्याय के निष्पक्ष प्रक्रिया में योगदान देता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपर्युक्त एप्लीकेशनों के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने में योगदान देता है, जिससे अधिक प्रभावी, प्रौद्योगिकी-संचालित, समयबद्ध और नागरिक-अनुकूल न्याय वितरण प्रणाली को समर्थन मिलता है।

****